रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 1990/फाल्गुन 9, 1911
No. 77] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 1990/PHALGUAN 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1990

सा.का.नि. 99(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सिविल सेवा और समूह "ग" पद में रिक्तियों को भरने के लिए अधिशेष कर्मचारी पुनर्नियोजन नियमावली, 1967, केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पद (समूह "घ") की रिक्तियों में अधिशेष कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति नियमावली, 1970, केन्द्रीय सिविल सेवा और पद (समूह "क" और "ख") अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द पुनराभिनियोजन नियम, 1986 और केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिशिष्ट कर्मचारियों का पुनराभिनियोजन (अनुपूरक) नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों की रिक्तियों में अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द का पुनराभिनियोजन और पुनर्समायोजन का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द पुनराभिनियोजन) नियम, 1990 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परिशिष्ट" से इन नियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत है ।

(ख) "प्रकोष्ठ" से अभिप्रेत है,—

(i) समूह "क", समूह "ख" और समूह "ग" के अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का केन्द्रीय (अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द) प्रकोष्ठ;

(ii) समूह "घ" के अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द के संबंध में श्रम मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय का विशेष प्रकोष्ठ;

(ग) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ।

(घ) "नियंत्रक प्राधिकारी" से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो किसी केन्द्रीय सिविल सेवा या पद में भर्ती का विनियमन करने संबंधी नियमों

के अधीन, उस सेवा या पद में किसी रिक्ति को भरने के निर्णय करने और भरने की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए सक्षम है।

(ङ) "पुनर्नियोजन" से अभिप्रेत है इन नियमों के अनुसार किसी भूतपूर्व अधिशिष्ट कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति यद्यपि पहले से ही अन्य पद पर अभिनियोजित किया जा चुका है।

(च) "पुनरानियोजन" से इन नियमों के अनुसार किसी केन्द्रीय सिविल सेवा या पद में किसी रिक्ति में किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की नियुक्ति अभिप्रेत है।

(छ) "अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द" और "अधिशिष्ट कर्मचारी या कर्मचारियों" से ऐसे केन्द्रीय सिविल सेवक (तदर्थ, आकस्मिक, निर्धारित कर्म या संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारियों को छोड़कर) अभिप्रेत हैं जो—

(क) स्थायी हैं या यदि अस्थायी हैं तो उन्होंने पांच वर्ष से अन्यून नियमित निरन्तर सेवा की है, और [1]

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों से निम्नलिखित के परिणामस्वरूप उनके पदों के साथ अधिशिष्ट कर दिए हैं—[2]

(1) प्रशासनिक और वित्तीय सुधार जिनके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ किसी संगठन की पुनर्संरचना करना, शून्य आधार बजट बनाना, किसी क्रियाकलाप का किसी राज्य सरकार, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अन्य स्वायत्त संगठन को हस्तांतरण करना, किसी चालू क्रियाकलाप को बंद करना और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को लागू करना शामिल है, या

(2) वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा या केन्द्रीय सरकार या संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा किए गए कार्य मापन अध्ययन; या

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठन का पूर्णतः या भागतः उत्सादन या परिसमापन।

(ज) "पंजी" से अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द की ऐसी सूची अभिप्रेत है जो प्रकोष्ठ के माध्यम से सामयिक पुनरानियोजन या पुनर्नियोजन के अधीन है।

3. प्रकोष्ठ को रिक्तियों की रिपोर्ट करना :

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा और पद में समूह "क" और "ख" में रिक्तियां

(i) किसी समूह "क" या समूह "ख" सेवा या पद जिसमें कोई रिक्ति आयोग के माध्यम से (किसी प्रतियोगी परीक्षा से अन्यथा आधार पर) सीधे भर्ती द्वारा भरी जानी है तो उस सेवा या पद से संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी आयोग को इस प्रयोजन के लिए अध्यपेक्षा भेजने के साथ-साथ उसकी एक प्रति प्रकोष्ठ को भी भेजेगा।

(ii) जब तक उसमें यह अभिदर्शित न हो कि उसकी एक प्रति समसामयिक रूप से प्रकोष्ठ को भेज दी गई है आयोग इस प्रयोजन के लिए भेजी गई अध्यपेक्षा को ग्रहण नहीं करेगा और आयोग अधिसूचित किए गए पद की भर्ती के लिए सामान्य रीति से कार्यवाही केवल तभी करेगा, जब—

(क) उसके कार्यालय में अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर, उक्त रिक्ति या रिक्तियों के स्थान पर प्रकोष्ठ द्वारा अधिशिष्ट कर्मचारी या कर्मचारियों का प्रयोजन करने की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं होती, या

(ख) प्रकोष्ठ द्वारा विचार के लिए सिफारिश किया गया/किए गए अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रश्नाधीन पद/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है/पाए जाते हैं।

(iii) जहां कोई पद आयोग के परामर्श से स्थानांतरण द्वारा भरा जाना है, तो उस पद से संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी रिक्ति पहले प्रकोष्ठ को संसूचित करेगा जो यदि उस पर नियुक्ति के लिए प्रथम दृष्टया उपयुक्त कोई अधिशिष्ट कर्मचारी उसकी पंजी में हैं तो संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देते हुए, प्रश्नाधीन पद पर आमेलन के लिए विचार किए जाने के लिए उसे आयोग को प्रयोजित करेगा। उक्त पद केवल तभी परिचालित किया जाएगा यदि (क) प्रकोष्ठ उस पर आमेलन के लिए अपनी पंजी में से प्रायोजित करने के लिए उपयुक्त अधिशिष्ट कर्मचारी अनुपलब्ध होना संसूचित करता है या (ख) आयोग पद पर नियुक्ति के लिए प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित अधिशिष्ट कर्मचारी को अनुपयुक्त पाता है।

(iv) समूह "क" और समूह "ख" में केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में सभी रिक्तियां जो आयोग के माध्यम से अन्यथा, सीधी भर्ती द्वारा या स्थानांतरण द्वारा भरी जानी हैं, पहले प्रकोष्ठ को रिपोर्ट की जाएंगी और अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द में से भरी जायेंगी, जब तक कि प्रश्नाधीन पद या सेवा के नियंत्रक प्राधिकारी ने प्रकोष्ठ से यह अभिनिश्चित न कर लिया हो कि विशिष्ट पद पर नामित करने के लिए उसके पास अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द में से उपयुक्त व्यक्ति नहीं है।

(v) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंध निम्नलिखित के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन पद और सेवाओं को लागू नहीं होंगे :

(क) (i) परमाणु ऊर्जा (ii) अंतरिक्ष (iii) इलैक्ट्रानिकी (iv) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा (v) रेल (रेल-बोर्ड के मुख्यालय कार्यालयों में अवस्थित पदों को छोड़कर) विभाग;

(ख) रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से भिन्न निम्न क्षेत्र विरचनाएं),

(ग) गृह और रक्षा मंत्रालयों तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन, विभिन्न सुरक्षा और परा-सैन्य संगठन

परन्तु यह इन सेवाओं और पदों के नियंत्रक प्राधिकारी को प्रकोष्ठ से उपयुक्त अधिशिष्ट कर्मचारियों को प्रायोजित करने का अनुरोध करने तथा उन्हें नियुक्त करने में बाधा नहीं होगा।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा और पद समूह "ग" और समूह "घ" में रिक्तियां

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा और पद समूह "ग" और "घ" में सभी रिक्तियां सिवाए उनके जो इस उप-नियम के खण्ड (3) और उप-नियम (4) के खंड (क) के अन्तर्गत आती हैं संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द में से भरी जाएंगी।

(2) सरकारी विभाग या कार्यालय संबंधित प्रकोष्ठ से यह अभिनिश्चित कर लेने के पश्चात् ही कि किसी विशिष्ट पद के लिए उसके पास उपलब्ध अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द में उपयुक्त व्यक्ति नहीं है सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियां भर सकेंगे।

(3) निम्नलिखित प्रवर्ग की रिक्तियां संबंधित प्रकोष्ठ को रिपोर्ट नहीं की जाएंगी :

(क) जो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जानी हैं;

(ख) जो तदर्थ या अल्पकाल आधार पर भरी जानी है, जिन पर नियुक्ति अनिश्चित काल तक चालू रहने और अंत में नियमित किए जाने की सम्भावना नहीं है।

(ग) जो प्रोन्नति काडर (रों) में प्रोन्नति के लिए विहित अर्हताएं रखने वाले पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हैं;

(घ) जो उपनियम (1) के खंड (5) के उपखंड (क) और (ख) उल्लिखित मंत्रालयों या विभागों में अवस्थित हैं;

(ङ) जो उपनियम (1) के खंड (5) के उपखंड (ग) में उल्लिखित संगठनों में अवस्थित हैं और जो खुली भर्ती में अन्यथा माध्यम से भरी जानी हैं

(च) जो किसी उच्चतर पदस्थ के निजी स्टाफ के पद में हैं और उन पर नियुक्ति उस उच्च पदस्थ के विवेकाधिकार से की जानी है,

(छ) जो मृतक सरकारी सेवक पर आश्रित(तों) की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति द्वारा भरी जानी हैं;

(ज) जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में हैं;

(झ) जो नियम 4 के उपनियम (6) और नियम 12 के अधीन नियुक्तियां किए जाने में उपयोग की जा रही हैं।

(3) रिक्तियों का प्रत्याहरण

कोई रिक्ति जो प्रकोष्ठ को रिपोर्ट की गई है और जिसके लिए कोई अधिशिष्ट कर्मचारी या तो प्रकोष्ठ द्वारा नामित किया गया है या ऊपर उप-नियम (1) के खण्ड (1) या (3) के अधीन रिपोर्ट की गई रिक्ति के मामले में, आयोग द्वारा सिफारिश किया गया है, प्रत्याहरित नहीं की जाएगी।

परन्तु यह कि जहां ऐसी किसी रिक्ति का प्रत्याहरण आवश्यक समझा जाए वहां प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव द्वारा या उसके स्पष्ट अनुमोदन से, उसके लिए कारण देते हुए अनुरोध किया जाएगा।

परन्तु यह और कि रिक्ति के प्रत्याहरण की आवश्यकता और औचित्य के संबंध में किसी शंका या विवाद के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्णय का पालन करेगा।

(4) प्रकोष्ठ को रिक्तियों की चयनात्मक रिपोर्ट किया जाना :--

"उप नियम (1), (2), और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संबंधित प्रकोष्ठ अनुदेश जारी कर सकेगा कि,--

(क) मंत्रालयों और विभागों को कतिपय ऐसे पदों, श्रेणियों, सेवाओं या क्षेत्रों में जो विनिर्दिष्ट किए जाएं रिक्तियां या तो विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि प्रतिकूल अनुदेश जारी नहीं कर दिए जाते रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं होगा; और

(ख) किन्हीं विशिष्ट पदों, श्रेणियों, सेवाओं या क्षेत्रों में किसी समय विद्यमान रिक्तियों की रिपोर्ट उसे की जाए और उन्हें किसी अन्य तरीकों के माध्यम से जिनमें ऐसे तरीके भी सम्मिलित हैं जो भर्ती नियमों में विहित किए गए हैं न भरा जाए और ऐसा पूर्वोक्त प्रकोष्ठ से विनिर्दिष्ट अनापत्ति प्राप्त करके ही किया जाए, अन्यथा नहीं।

4. अधिशिष्ट कर्मचारियों का पुनराभिनियोजन

(i) समूह "क" और समूह "ख" सेवाओं या पदों में रिक्तियों पर (1) समूह "क" तथा "ख" सेवाओं और पदों में रिक्तियों, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा, जिनमें आयोग द्वारा भरी जाने वाली (आयोग द्वारा ,आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से अन्यथा आधार पर) या स्थानांतरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां शामिल हैं, पर नियुक्ति के लिए प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिश किए गए अधिशेष कर्मचारी प्रथम अग्रता के हकदार होंगे।

परन्तु यह तब जब कि वे आयोग या अन्य विहित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाए जाते हैं और ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उनके पास कोई उपयुक्त असमर्थ रक्षा सेवा कार्मिक उपलब्ध नहीं है।

(ii) प्रकोष्ठ ऐसे अधिशिष्ट कर्मचारी के नाम की जो तत्समय उसकी पंजी पर है, किसी विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए, जिसमें रिक्ति आयोग और प्रकोष्ठ को अधिसूचित की गई है और जिस पर नियुक्ति के लिए संबद्ध अधिशिष्ट कर्मचारी उस पद के और उसके द्वारा धारित पद के वेतनमान, उसकी अर्हताओं और उसके पूर्व अनुभव की सुसंगतता को देखते हुए प्रकोष्ठ को प्रथम दृष्टया उपयुक्त प्रतीत होता है, आयोग को सिफारिश करेगा;

(iii) प्रकोष्ठ अपनी पंजी में से एक से अधिक कर्मचारियों की किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की सिफारिश कर सकेगा जिसके लिए उनमें से प्रत्येक उसको नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है;

(iv) आयोग किसी अधिशिष्ट कर्मचारी पर, जिसका जीवनवृत्त प्रकोष्ठ द्वारा उसे निर्दिष्ट किया गया है, उस पद पर नियुक्ति के लिए विचार कर सकेगा, भले ही प्रकोष्ठ द्वारा, उसकी उस पद के लिए विनिर्दिष्ट रूप से सिफारिश न की गई हो; परन्तु यह तब जब कि (क) प्रश्नगत पद का वही वेतनमान या वेतनमान का अधिकतम वही है जो उसके द्वारा धारित पद का है (ख) अधिशेष कर्मचारी अन्य पदों के जिनके लिए उसकी अभ्यर्थिता प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित की गई हो, अधिमान में ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है और (ग) वह इस उपनियम के खंड (5) में वर्णित असमर्थताओं से ग्रस्त नहीं है।

(v) प्रकोष्ठ किसी अधिशिष्ट कर्मचारी के नाम की आयोग को सिफारिश नहीं करेगा--

(क) यदि प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित किए जाने पर आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में उसके विद्यमान वेतनमान से अनिम्नतर वेतनमान वाले पद पर नियुक्ति के लिए उसकी पहले ही सिफारिश की जा चुकी है;

(ख) यदि उसने इसी दौरान किसी अन्य पद का कार्यभार चाहे प्रकोष्ठ के माध्यम से पुनराभिनियोजन पर या अन्यथा संभाल लिया है या उसके किसी अन्य सतत पद पर जिस पर वह धारणाधिकार रखता है, प्रतिवर्तन के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि प्रकोष्ठ की पंजी पर उसके अन्तरण की तारीख से छः मास के भीतर अधिवर्षिता प्राप्त कर लेगा ;

(घ) यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं या उसे सेवानिवृत्त (जिसके अन्तर्गत अधिशिष्ट कर्मचारी द्वारा दी गई समयपूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रार्थना की सूचना पर सेवा निवृत्ति है) किया जाना है या सेवोन्मुक्त कर दिया गया है या वह प्रकोष्ठ की पंजी में उसके अन्तरण की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व किसी दिन को प्रकोष्ठ की पंजी पर अन्यथा नहीं रह जाता है,

(ङ) नियम 5 में अधिकथित स्थानन की परिधि के बाहर आने वाले किसी पद में आमेलन के लिए।

(vi) आयोग, किसी अधिशिष्ट कर्मचारी पर पहले लिखी गई गोपनीय रिपोर्ट स्वाविवेकानुसार देख सकेगा या यदि आवश्यक हो, तो किसी पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए उसे साक्षात्कार के लिए बुला सकेगा, परन्तु इस प्रयोजन के लिए उसकी लिखित परीक्षा नहीं लेगा।

(vii) आयोग, अपने विवेकानुसार प्रकोष्ठ द्वारा उस सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए प्रायोजित अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द के के किसी सदस्य के संबंध में किसी सेवा या पद पर भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव आदि में छूट दे सकेगा यदि वह अधिशिष्ट अभ्यर्थी को विचाराधीन सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त समझता है।

(viii) आयोग, किसी पद के लिए प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिश किए गए किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की अंतिम रूप से उपयुक्तता

या अन्यथा का निर्धारण और प्रकोष्ठ को उसकी सूचना अपने कार्यालय में ऐसी सिफारिश की प्राप्त की तारीख से यथाशक्य एक मास के भीतर करेगा ।

(2) समूह "ग" और समूह "घ" सेवाओं में या पदों में रिक्तियां

(i) प्रकोष्ठ द्वारा नामकित अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द किसी रिक्त पर नियुक्ति के लिए असमय रक्षा सेवा कार्मिक के पश्चात् प्रथम अग्रता के हकदार होंगे।

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पद समूह "ग" या समूह "घ" की रिक्तियों में पुनराभिनियोजन के लिए यथास्थिति संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा प्रयोजित अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी परीक्षा या साक्षात्कार के अध्यधीन नहीं होंगे जब तक कि संबंधित प्रकोष्ठ अथवा इसके परामर्श से अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है ।

(iii) उन मामलों को छोड़कर जहां किसी विशेष पद के लिए कतिपय तकनीकी अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द प्राप्तिकर्ता संगठनों में नियुक्ति के लिए इस आधार पर अपात्र नहीं होंगे कि उनके पास उन पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं नहीं है जिस पर उन्हें प्रकोष्ठ द्वारा पुनराभिनियोजित किया गया था ;

परन्तु जहां कोई अधिशिष्ट कर्मचारी नियमित आधार पर कोई समतुल्य पद सारभुत रूप से समान कर्तव्यों के साथ पहले ही धारण कर रहा है वह पद पर नियुक्ति के लिए केवल इस आधार पर कि उसके पास पद पर नियुक्ति के विहित शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताए नहीं हैं अनुपयुक्त नहीं माना जाएगा, यदि उसने उस पर परिवीक्षा संतोषप्रद रूप से पूरी कर ली है या यदि उसे परिवीक्षाधीन नहीं रखा गया था और विगत 2 वर्ष से अन्यून अवधि में उसका काम संतोषप्रद रिपोर्ट किया गया था।

(iv) यदि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रकोष्ठ, उसको रिपोर्ट की गई रिक्तियों के पुनरावलोकन पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समूह "ग" पद में उपयुक्त स्थानन की व्यवस्था करना उसे संभव नहीं होगा तो वह यथाशक्य, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में प्रकोष्ठ को पूर्व सूचना देकर समूह "घ" सेवा या पद में किसी रिक्ति पर किसी समूह "ग" अधिशिष्ट कर्मचारी को नियुक्ति के लिए नामांकित कर सकेगा और उसे उस स्थिति में ऐसे नामांकन पर यह नियम उसी प्रकार लागू होंगे जैसे उक्त महानिदेशालय में प्रकोष्ठ द्वारा किए गए समूह "घ" अधिशिष्ट कर्मचारी के नामांकन पर लागू होते हैं;

परन्तु यह कि जहां एक ही रिक्ति के लिए नामांकन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ ही साथ रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा किया गया है प्राप्तिकर्ता संगठन सको पहले प्राप्त नामांकन पर कार्यवाही करेगा और दूसरे संगठन को अपना नामांकन अयन्त प्रत्यावर्तित करने के लिए संसूचित करेगा।

(3) अधिशिष्ट स्थानापन्न कर्मचारियों का पुनराभिनियोजन

(क) कोई कर्मचारी, जो किसी पद पर स्थानापन्न है अधिशेष घोषित कर दिया जाता है नियम 5 का उपनियम (1) का खण्ड (i) के अनुसार किसी पद पर पुनराभिनियोजन का पात्र होगा, परन्तु यह कि --

(i) वह उस पद पर प्रोन्नति की नियमित प्रक्रिया या स्थानान्तरण के माध्यम से नियुक्ति किया गया था और उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिशेष घोजित किया गया है छह माह की अवधि के भीतर, सामान्य अनुक्रम में उसके उस प्रतिवर्तन की कोई संभाव्यता नहीं थी

(ii) वह स्वमेव उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार है प्रतिवर्तित होने के लिए विकल्प नहीं लेता है और

(iii) पूर्वक्त छ माह की अवधि के भीतर किसी तारीख से. से वह उसे लागू नियमों के अधीन अधिवर्षित होने वाला नहीं है और न ही उससे सेवा निवृत्ति की अनुज्ञा दिये जाने के लिए कहा है।

(ख) अधिशिष्ट स्थानापन्न कर्मचारी उस तारीख से जिस से अधिशेष घोषित किया गया था छह माह की समाप्ति पर उस पद पर प्रतिवर्तित हो जायेगा जिस पर उसका चाहे प्रशासनिक या अधिष्ठायी धारणाधिकार, है (जब तक कि वह पद समाप्त या अधिशेष घोषित न किया जा चुका हो) यदि उक्त अवधि के भीतर उसके लिए किसी समुचित पद पर नियोजन की व्यवस्था न की जा सके या उसके नियोजन के लिए की गई व्यवस्था को वह अस्वीकार करता है या उस प्रधिकारी जिसके अधीन वह नियोजन अवति है द्वारा समनुज्ञात कार्य ग्रहण को अवधि के भीतर उक्त नियोजन पर पद ग्रहण करने में विफल रहता है।

(ग) उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) के प्रावधान किसी उस कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होंगे जिसने उसके द्वारा धारित पद पर परिवीक्षा संतोषप्रद रूप से पूरी करली है या सक्षम प्राधिकारी के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन उक्त स्थानापन्न नियुक्ति पर उसे परिवीक्षा पर रखे जाने से छूट प्राप्त थी।

(4) आयोग के माध्यम से भिन्न भरे पदों पर नियुक्ति के लिए अधिशेष कर्मचारियों की उपयुक्तता का अवधारण :

निम्नलिखित प्राधिकारियों को, आयोग के माध्यम से अन्यथा भरे पदों पर नियुक्ति के लिए नीचे दर्शित अनुसार जहां आवश्यक हो सुसंगत भर्ती नियमों के अधीन विहित अर्हताओं, अनुभव आदि को शिथिल करके, अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द की उपयुक्तता का अवधारण करने का अधिकार होगा :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग उन कर्मचारियों की बाबत जो निम्नलिखित के लिए नामांकित किए गए हैं :—

(1) नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (iv) के अधीन रिपोर्ट की गई समूह 'क' और समूह 'ख' सेवाओं और पदों में रिक्तियां;

(ii) उनको छोड़कर जो नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (v) में वर्णित मंत्रालयों, विभागों आदि में अवस्थित हैं समूह "ग" सेवाओं और पदों में रिक्तियां और

(iii) समूह "ग" अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द के पुनराभिनियोजन के लिए इस नियम के उपनियम (2) के खंड (iv) के अधीन उपयोग की गई समूह "घ" सेवाओं और पदों में रिक्तियां;

(ख) नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (5) में वर्णित मंत्रालयों, विभागोंआदि में रिक्तियों के विरूद्ध नामांकित व्यक्तियों की बाबत संबंधित मंत्रालय या विभाग।

(ग) उनसे भिन्न जो ऊपर उपनियम (2) के खंड (iv) में निर्दिष्ट हैं, समूह "घ" सेवाओं और पदों के प्रति नामांकित समूह "घ" कर्मचारियों के मामले में महानिदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय।

(5) आयोग या प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिश किए गए अधिशिष्ट कर्मचारियों की नियुक्ति :

(i) प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की किसी ऐसे पद या सेवा पर नियुक्ति के लिए जिसके लिए यथास्थिति आयोग या प्रकोष्ठ से पहले अध्यपेक्षा की गई थी

आयोग द्वारा की गई सिफारिश या प्रकोष्ठ द्वारा दिए गए नामांकन की प्राप्ति पर संबद्ध अधिशिष्ट कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश जारी करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगा और उसकी सूचना प्रकोष्ठ को और जहां सुसंगत हो, आयोग को देगा ।

(ii) प्राप्तिकर्ता संगठन का नियुक्ति प्राधिकारी तत्काल अधिशिष्ट कर्मचारियों के पुनराभिनियोजन का विनियमन करने वाले निबंधनों और शर्तों पर नियुक्ति का प्रस्ताव करेगा और सिवाए जहां कि किसी विधि द्वारा अपेक्षित हो, प्रकोष्ठ के बिना पूर्व परामर्श किए स्वयं की कोई विपरीत शर्त अधिरोपित नहीं करेगा ।

(iii) प्राप्तिकर्ता संगठन किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को प्रतिग्रह करेगा जिसे एक माह के भीतर इसके किसी प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया के अभाव में संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा दिए गए निर्देशों पर मूल संगठन से भार मुक्त कर दिया गया है ।

(6) मंत्रालय या विभाग के भीतर ही अधिशिष्ट कर्मचारियों का आमेलन

उप नियम (2), (3), (4) और (5) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी और नियम 12 के प्रावधानों के अधीन मंत्रालय या विभागाध्यक्ष, किसी कर्मचारी को जो इस द्वारा अधिशिष्ट घोषित किया गया हो, को संबंधित प्रकोष्ठ को सूचित करते हुए, किसी ऐसे पद में रिक्ति पर यदि कोई उसके अधिशिष्ट घोषित करते समय या प्रकोष्ठ द्वारा उसके (पुनराभियोजन से पहले उपलब्ध हो) समायोजन कर सकेगा, जो कि उसके नियंत्रण अधीन किसी कार्यालय में अवस्थित हो, और जिसका समान वेतनमान हो, जिस पर नियुक्ति के लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है ;

अधिशिष्ट कर्मचारी के पुनराभिनियोजन के लिए कार्यवाही की समाप्ती

किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की पुनराभिनियोजन के लिए कार्यवाही उस तारीख को समाप्त हुई समझी जाएगी, जिसको—

(क) उसे उसी या किसी दूसरे विभाग या संगठन में अन्य पद ग्रहण करने के लिए, चाहे उसकी व्यवस्था प्रकोष्ठ के माध्यम से की गई हो या अन्यथा, सेवोन्मुक्त किया गया है; या

(ख) सेवा के पर्यवसान अथवा त्यागपत्र अथवा स्वैच्छिक या समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है ।

5 स्थानन का अवधारण

(1) (i) कोई अधिशिष्ट कर्मचारी, उसकी उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, यथाशक्य ऐसे पद में पुनराभिनियोजित किया जायगा जिसका वेतनमान उसके वर्तमान वेतनमान से तुलनीय है ।

(ii) खंड (i) के प्रयोजनों के लिए तुलनीय वेतनमान से वह वेतनमान अभिप्रेत होगा जिसका अधिकतम अधिशिष्ट कर्मचारी के वेतनमान के अधिकतम के बराबर है और जिसका न्यूनतम उस मूल वेतन से (वृद्धिरुद्ध वेतन समेत) से अधिक नहीं है जो अधिशिष्ट कर्मचारी नामांकित किए जाते समय प्राप्त कर रहा है ।

(2) जहां तुलनीय वेतनमान वाले किसी उपयुक्त पद में रिक्ति उपलब्ध नहीं है वहां अधिशिष्ट कर्मचारी किसी गैर तुलनीय वेतनमान वाले पद पर पुनराभिनियोजित किया जा सकेगा :

परन्तु यह तब जबकि—

(i) ऐसे पद के वेतनमान का अधिकतम अधिशिष्ट कर्मचारी के वेतनमान के अधिकतम से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है; और

(ii) ऐसा पद उस पद से निम्नतर नहीं है जो अधिशिष्ट कर्मचारी द्वारा तत्समय धारित पद के स्तर वाले पदधारियों के लिए प्रोन्नत्यात्मक सोपान में आगामी निम्नतर पद है या सामान्यत आगामी निम्नतर पद होगा :

परन्तु यह और भी कि—

(i) उपरोक्त पहले परन्तुक के खंड (i) के निबंधनों के अनुसार किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को जो किसी उच्चतर अधिकतम वेतनमान वाले किसी पद के लिए प्रयोजित या नामांकित किया गया है या उसके पास या तो पद पर सीधी भर्ती द्वारा या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए यथाविहित अर्हताएं होनी चाहिएं, या अपने मूल विभाग में ऐसे पद से संलग्न कर्तव्यों का निर्वहन वह सकतापूर्वक कर रहा हो, और

(ii) जब किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को निम्न वेतनमान वाले किस पद पर पुनराभिनियोजित किया जाता है उसे अगले पद पर अपने चालू वेतनमान के साथ ले जाने की अनुज्ञा दी जाए परन्तु यह फायदा तब नहीं दिया जायगा जब किसी तुलनीय या उच्चतर वेतनमान में किसी पद को उपलब्धता के बावजूद किसी व्यक्ति को उसके स्वयं के अनुरोध पर किसी निम्न-वेतनमान वाले पद पर पुनराभिनियोजन किया गया है ।

(3) जहां कोई अधिशिष्ट कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 में विहित वेतनमानों से भिन्न किसी वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहा है, प्रशासनिक मंत्रालय ऐसे कर्मचारी के पुनराभिनियोजन की व्यवस्था करने के लिए संबंधित प्रकोष्ठ को उसके विवरणों की रिपोर्ट करते समय या उसके पश्चात यथाशीघ्र उसके द्वारा धारित पद पर नियुक्ति के लिए विहित अर्हताएं और उससे संलग्न कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उसके वेतनमान के पूर्वोक्त नियमों के अधीन तत्साम वेतनमान जैसा कि वित्त मंत्रालय के परामर्श से अवधारित किया जाए, भी प्रकोष्ठ को संसूचित करेगा । इस नियम के अधीन और नियम 6 के अधीन उसके स्थानन के प्रयोजन के लिए कर्मचारी उक्त पुनरीक्षित वेतन नियम के उस तत्समय वेतनमान जो कि इस नियम के अधीन अवधारित किया गया है, का धारक माना जायगा ।

6 धारपुनराभिनियोजित अधिशिष्ट कर्मचारियों का पुनर्समायोजन :

(1) कोई अधिशिष्ट कर्मचारी, जिसे पहले ही पुनराभिनियोजित किया जा चुका है, निम्नलिखित हालतों को छोड़कर पुनसमायोजन की मांग करने के लिए पात्र नहीं होगा—

(क) जब वह अपने अनुरोध से अन्यथा—

(i) किसी ऐसे पद पर, जिसका वेतनमान उस वेतनमान से निम्नतर है, जिसमें वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय था; या

(ii) किसी पद पर, जो वर्गीकरण में उस पद से निम्नतर है, जिसे वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय धारण किए था; या

(iii) किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जिसका अधिकतम वेतनमान केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 के अनुसार 2900 रुपये से अधिक नहीं है उस/उन राज्य (यों) से भिन्न किसी राज्य में जिसमें/जिनमें उसने पुनराभिनियोजन की प्रतीक्षा करते समय अपने स्थानन की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया था और ऐसे अनुरोध के अभाव में, जिसमें वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय तैनात था ।

पुनराभिनियोजित किया गया है ;

परन्तु यह कि वह, यथास्थिति, चुनाव या तैनाती के ऐसे राज्य(यों) में अंतर विभागीय स्थानांतरण पाने के लिए सामान्य अनुक्रम में पात्र नहीं है :

परन्तु यह और कि वह उस प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आता है, जिसमें अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व है ।

(ख) यदि उसका मामला, किसी अन्य ऐसे मामलों के वर्ग के अन्तर्गत आता है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश द्वारा इन नियमों के अधीन पुनः समायोजन चाहने के लिए पात्र विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) कोई पुनराभिनियोजित कर्मचारी, जो उपनियम (1) के निबन्धनों के अनुसार पुनः समायोजन चाहने के लिए पात्र है परिशिष्ट में दिए गए प्रारूप में ऐसे पुनः समायोजन के पक्ष में विकल्प का प्रयोग करेगा और उसे उस पद के, जिसमें वह तत्समय पुनराभिनियोजित किया गया है, ग्रहण की तारीख से दो मास के भीतर अपने कार्यालय के प्रधान के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अधिशेष प्रकोष्ठ) को या समूह "घ" कर्मचारी की दिशा में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली को भेजेगा ।

(3) यदि विकल्प स्वीकार करने योग्य पाया जाता है तो कर्मचारी का विद्यमान पुनराभिनियोजन अनंतिम माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी "अधिशिष्ट कर्मचारीवृन्द" पद की परिभाषा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, काल्पनिक रूप से अंतिम पुनराभिनियोजन के लिए प्रतीक्षारत अधिशिष्ट कर्मचारी माना जाएगा ।

(4) पुनः समायोजन निम्नलिखित और शर्तों के अधीन होगा—

(क) अधिशिष्ट कर्मचारी का अपनी पूर्व सेवा की, जिसके अन्तर्गत वह भी है, जो उसके अनंतिम पुनराभिनियोजन के पद में की गई है, उस पद में, जिसमें वह पुनः समायोजित किया गया है, ज्येष्ठता के नियतन के लिए गणना के लिए कोई दावा नहीं होगा;

(ख) पुनः समायोजन के लिए कार्रवाई समाप्त हुई मानी जाएगी—

(i) उस तारीख से, जिसको पुनः समायोजन के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, छह मास की समाप्ति पर (जिसके अन्तर्गत निलंबन/अनुशासनिक कार्यवाहियों की यदि कोई हो, अवधि नहीं है); या

(ii) ऐसे पूर्वोत्तर तारीख को, जिसको ऐसे पद में, जिसका समरूप वेतनमान है और या उनके बारे में, जो उपर्युक्त उपनियम (1) खंड (क) के उपखंड (i) और (ii) के अन्तर्गत आते हैं समतुल्य वर्गीकरण है; और उनके बारे में, जो उसके खंड (iii) के अन्तर्गत आते हैं, समुचित राज्य में, कर्मचारी को नियुक्ति का कोई प्रस्ताव किया जाता है, या

(iii) यदि वह पुनः समायोजन के लिए विकल्प वापस लेता है या त्यागपत्र देता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सूचना देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है या अन्यथा सेवा में नहीं रहता है; और

(iv) उस कर्मचारी की दशा में, जो निलंबनाधीन है या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के अध्यधीन हो जाता है, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या अनुशासनिक कार्यवाहियों के चालू रहने की अवधि के दौरान ।

(ग) पुनः समायोजन केन्द्रीय मंत्रालय, विभाग या अधीनस्थ कार्यालय में उपलब्ध और संबंधित प्रकोष्ठ को रिपोर्ट की गई रिक्ति के लिए ही किया जाएगा ।

(घ) उच्चतर वेतनमान वाले पद पर पहले से ही पुनराभिनियोजित किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को, किसी ऐसे पद पर समायोजित किया जा सकेगा जिसका वेतनमान उसके मूल वेतनमान के तुलनीय है और वह ऐसे उच्चतर वेतनमान वाले पद पर समायोजित किए जाने के लिए कोई दावा नहीं रखेगा और न ही वह नए पद पर ऐसे उच्चतर वेतनमान के संरक्षण के लिए हकदार होगा ।

(ङ) निम्नतर वेतनमान वाले पद पर पुनराभिनियोजित ऐसा अधिशिष्ट कर्मचारी जो उपरोक्त उपनियम (1) के खंड (क) के उप खंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन पुनः समायोजन चाहता है, कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार के का.ज्ञा.सं. 1-15-84-सी.एस.-III तारीख 3-9-84 के निबन्धनों के अनुसार प्रास्थिति के संरक्षण का पात्र होगा, यदि अंतिम रूप से भी उसे निम्नतर वर्गीकरण वाले पद पर पुनः समायोजित कर लिया जाता है किन्तु वह उस कारण से आगे पुनः समायोजन मांगने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(च) आरंभिक पुनराभिनियोजन के लिए प्रतीक्षा करने वाले अधिशिष्ट कर्मचारियों का मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा, यथास्थिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय को रिपोर्ट की गई रिक्तियों के संबंध में समायोजन के लिए पहला दावा होगा और अनंतिम रूप से पुनराभिनियोजित कर्मचारियों के समायोजन की संभावना की खोज रिपोर्ट की गई शेष रिक्तियों के संबंध में की जाएंगी जिन्हें भर्ती की सामान्य प्रणालियों के माध्यम से भरी जाने के लिए पहले से अनुज्ञात नहीं किया गया है ।

(छ) किसी विशिष्ट जिला या शहर या विभाग या पद में समायोजित किए जाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(5) इन नियमों के निबन्धनों के अनुसार पुनर्समायोजन के रूप में किसी कर्मचारी की नियुक्ति को स्थानांतरण यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण अवधि और कार्यग्रहण अवधि के वेतन मंजूर करने के लिए लोकहित में स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति माना जायगा ।

(6) इन नियमों के अधीन पुनः समायोजित किए जाने पर किसी कर्मचारी की स्थायी प्रास्थिति और पिछली सेवाओं के संरक्षणों के फायदे उन्हीं शर्तों पर अनुज्ञेय होंगे जो पुनराभिनियोजित किए जाने पर किसी अधिशिष्ट कर्मचारी के संबंध में लागू होंगे ।

(7) नियम 3 के अधीन प्रश्नगत प्रकोष्ठ की रिपोर्ट की गई रिक्तियों का उपयोग इन नियमों के निबन्धनों के अनुसार पुनराभिनियोजित कर्मचारियों के पुनर्समायोजन के लिए समुचित प्रकोष्ठ द्वारा किया जा सकेगा यदि सुसंगत समय पर उन रिक्तियों के संबंध में नामनिर्दिष्ट किए जाने/प्रायोजित किए जाने के लिए कोई उपयुक्त अधिशिष्ट कर्मचारी नहीं है ।

(8) इन नियमों के नियम 4 (उसके उपांनयम (1) के खंड (v) का उपखंड (क) और (ख) तथा उपनियम (7) को छोड़कर (5, 7, 8, 9 और 10 में अन्तर्विष्ट उपबंध पुनराभिनियोजित अधिशिष्ट कर्मचारियों के पुनर्समायोजन के संबंध में भी लागू होंगे ।

(9) पुर्नसमायोजन के लिए किसी कर्मचारी के विकल्प का स्वीकार किया जाना उसे ऐसा कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने, कोई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने या किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने से, जो उसके द्वारा धारित पद को लागू नियमों द्वारा है, या सक्षम प्राधिकारियों के आदेश के अधीन अनंतिम पुनराभिनियोजन के कार्यालय में उससे अपेक्षित हो, स्वभावतः उन्मुक्ति प्रदान नहीं करेगा ।

7. आयु सीमा : इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की दशा में उच्चतर आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

8 चिकित्सीय परीक्षा—प्रकोष्ठ द्वारा पुनराभिनियोजित अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द से नए सिरे से चिकित्सीय परीक्षा करवाने की अपेक्षा नहीं

की जाएगी जब तक कि प्राप्तिकर्ता संगठन में पद के लिए भिन्न चिकित्सीय मान विहित न किए गए हों या जब तक कि संबद्ध व्यक्ति की उसके पूर्ववर्ती पद के लिए चिकित्सीय परीक्षा न हुई हो या यदि हो गई हो तो उसे चिकित्सक दृष्टया अयोग्य घोषित किया गया था।

9 वेतन और ज्येष्ठता का नियत किया जाना, विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए पूर्व सेवा की गणना और धारणाधिकार/वर्गीकरण का अग्रनयन—अधिशिष्ट कर्मचारी की नए पद में, जिस पर वह इन नियमों के अधीन पुनराभिनियोजन पर नियुक्त किया जाता है, ज्येष्ठता और वेतन का नियत किया जाना और विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी पूर्व सेवा की गणना तथा धारणाधिकार/वर्गीकरण का अग्रनयन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

10 भर्ती नियमों का संशोधन—केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले सभी नियम उस विस्तार तक संशोधित किए गए समझे जाएंगे जो इन नियमों में उपबंधित है।

11 कतिपय मामलों में अधिशिष्ट कर्मचारी को प्रशिक्षण देना :

(1) यदि किसी प्रकोष्ठ के भारसाधक प्राधिकारी की राय है कि कोई अधिशिष्ट कर्मचारी उपयोगिता पूर्वक पुनराभिनियोजित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे कतिपय अतिरिक्त कौशल में प्रशिक्षण नहीं दे दिया जाता है वह उसे किसी प्रशिक्षण के उपयुक्त पाठ्यक्रम के लिए नामांकित कर सकेगा।

(2) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कर्मचारी अपने मूल संगठन के अधिशिष्ट कर्मचारी स्थापन पर बना रहेगा और उसे पहले के अनुज्ञेय दर से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे।

(3) प्रशिक्षण के दौरान अधिशिष्ट कर्मचारी प्रशिक्षण प्राधिकारी के विनिर्देशों का पालन करेगा जिसमें किसी आवासिक पाठ्यक्रम के मामले में उसका होस्टल में ठहरने के लिए भी शामिल है।

(4) किसी अधिशिष्ट कर्मचारी के प्रशिक्षण पर रहते हुए भी, प्रकोष्ठ किसी उपयुक्त पद के लिए उसका नामांकन या उसकी अभ्यर्थिता प्रयोजित कर सकेगा और प्रस्ताव या नियुक्ति आदेश मिलने पर, प्रशिक्षण के किसी प्रक्रम पर पद ग्रहण करने के लिए उसे अवमुक्त किया जा सकेगा।

(5) उसके लिए बिना उचित औचित्य के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने से इंकार करने पर या उसे ग्रहण करने में विफल होने की दशा में, उसके अधिशिष्ट पद को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्यवाई की जाएगी।

12 किसी भूतपूर्व अधिशिष्ट कर्मचारी का उसकी मूल सेवा, काडर या पदों के समूह में पुनराभिनियोजन के पश्चात् या लंबित रहते पुनः स्थानांतरण :

(1) नियम (4) के उपनियम (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, यदि समूह "ग" या समूह "घ" में किसी सेवा काडर या पदों के समूह में कोई नियमित और दीर्घकालिक रिक्ति उद्भूत होती है तो वह उक्त रिक्ति के होने की तारीख से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान वहां से अधिशिष्ट घोषित किए गए कर्मचारी या कर्मचारियों को पहले प्रस्तावित की जाएगी जो अन्यत्र पुनराभिनियोजित या पुर्नसमायोजित किया जा चुका है/किए जा चुके हैं या जो पुनराभिनियोजित की प्रतीक्षा में है।

(2) यदि एक से अधिक ऐसे पुनराभिनियोजित कार्मिक (जिनमें वे भी जो पुर्नसमायोजित हैं और वे भी जो संबंधित प्रकोष्ठ की पूंजी पर है पुनराभिनियोजित के लिए प्रतीक्षारत हैं, सम्मिलित हैं) उक्त रिक्ति में आमेलन के लिए विकल्प देते हैं तो प्रश्नाधीन सेवा, काडर या समूह में वह विकल्पी जो उनमें अधिशेष घोषित किया जाने से अन्यथा स्थिति में ज्येष्ठतम होता, उस पर नियुक्त किया जायगा।

(3) ऐसे पुर्ननियोजन पर नियुक्ति व्यक्ति की ज्येष्ठता, सेवा, काडर या समूह में पुनः स्थापित की जाएगी जैसी कि उसके द्वारा उसके अधिशेष घोषित किए जाने से पूर्व उपभोगित थी।

(4) ऐसी दशा में पुर्ननियोजन स्थानांतरण यात्रा भत्ता और पद ग्रहण अवधि वेतन की ग्राहयता के मामले में, स्वयं की प्रार्थना पर स्थानांतरण के रूप में माना जायगा।

[संख्या 1/14/89-सी एस-III]

ए.एस. तनेजा, निदेशक

परिशिष्ट

पुनर्समायोजन के लिए विकल्प का प्ररूप

[नियम 6 (2) देखिए]

मैं····················केन्द्रीय सिविल सेवा (अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द पुनराभिनियोजन) नियम, 1990 के नियम 6 के निबन्धनों के अनुसार पुनर्समायोजन के लिए विकल्प देता हूं और इस प्रयोजन के लिए सुसंगत जानकारी नीचे देता हूं।

1. नाम
   (जैसा कि सेवा पुस्तिका में दिया हुआ है)।
2. पिता का नाम
3. जन्म की तारीख
4. अधिवर्षिता की तारीख
5. (क) वह कार्यालय जिसमें अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय नियोजित है।
   (ख) अधिशिष्ट घोषित करते समय धारित पद
   (ग) पद का वेतनमान
   (घ) धारित पद का वर्गीकरण—समूह क/ख/ग/घ
   (ङ) प्रास्थिति—स्थायी/स्थायीवत/अस्थायी/स्थानापन्न
   (च) प्रवर्ग—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/अस्थि विकलांग/ग्रस्त कार्मिक।
6. वह तारीख जिससे अधिशिष्ट घोषित किया गया है।

7. उस कार्यालय/पद की विशिष्टियां जिसमें पुनराभिनियोजित किया गया है

(क) कार्यालय का नाम और पता

(ख) कार्यालय में कार्यग्रहण की तारीख

(ग) वह पद जिस पर कार्यग्रहण किया गया

(घ) पद का वेतनमान

8. वर्तमान पता
स्थायी
कार्यालय का पता

9. पुनर्समायोजन चाहने के लिए कारणों से सुसंगत जानकारी

---

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

(क) यदि निम्नतर वेतनमान वाले किसी वेतनमान में पुनराभिनियोजित का मामला है (स्वयं के अनुरोध पर से अन्यथा) तो :—

पद से संलग्न वेतनमान	
वह पद जिसे वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय धारण कर रहा था ।	वह पद जिसमें उसका पुनराभिनियोजन किया गया है ।
1	2

(ख) यदि निम्नतर वर्गीकरण वाले पद में पुनराभिनियोजन का मामला है ।

(i) मूल कार्यालय में धारित पद का नाम

(ii) क्या उसे समूह "क"/"ख"/"ग"/"घ" के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(iii) उस पद का नाम और वर्गीकरण जिसमें उसका पुनराभिनियोजन किया गया है ।

(iv) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/15/84-के.से.-III तारीख 3-9-1984 के अधीन वर्गीकरण-प्रास्थिति के संरक्षण की सुविधा का उपभोग किया गया है, यदि नहीं तो उसके कारण बताएं ।

(ग) यदि किसी ऐसे राज्य से भिन्न जिसमें वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय तैनात था, राज्य में पुनराभिनियोजन के मामले में या किसी में नियोजन की व्यवस्था के लिए उपदर्शित किए जाने के मामले में जब वह पुनराभिनियोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहा हो । (केवल ऐसे समूह "घ"/समूह "ग" और ऐसे समूह "ख" के कर्मचारियों की दशा में जिनके वेतनमान का अधिकतम केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 के अनुसार 2900 रु. से अधिक नहीं है जिसके अन्तर्गत जहां अनुज्ञात हो वैयक्तिक वेतनमान भी है, को उपलब्ध है) ।

(i) वह स्थान जिस पर अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय तैनात था, और वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह स्थान अवस्थित है.....

(ii) वह स्थान जिस पर वह पुनराभिनियोजन के समय तैनात किया गया और वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह स्थान अवस्थित है.....

(iii) क्या संबंधित प्रकोष्ट को किसी विशिष्ट राज्य में पुनराभिनियोजन की व्यवस्था करने के लिए कोई अनुरोध किया गया था! यदि ऐसा है तो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताएं जिसमें पुनराभिनियोजन के लिए अनुरोध किया गया था । इस संबंध में प्रकोष्ठ को किए गए निर्देश का ब्यौरा दें.....

(iv) (क) क्या पुनराभिनियोजन का पद कोई एकल पद है या किसी काडर सेवा का कोई भाग है.....

(ख) क्या पश्चात्वर्ती मामले में काडर/सेवा में ऊपर (iii) या अनुकल्पतः (i) में (जो लागू हो) निर्दिष्ट राज्य में कोई ऐसा पद अवस्थित नहीं था जिसमें आवेदक को सामान्य अनुक्रम में अंतर्विभागीय रूप से स्थानांतरित किया जा सकता था.....

2. मैं यह समझता हूं कि मेरी पूर्व सेवा जिसके अन्तर्गत मेरे द्वारा धारित वर्तमान पद पर की गई सेवा भी है, उस पद पर जिसमें मैं पुनर्समायोजित किया जाता हूं ज्येष्ठता के नियतन के मद्दे गणना नहीं ली जाएगी ।

3. मैं यह भी समझता हूं कि पूर्वोक्त नियम के विनियम (4) के खंड (ख) में वर्णित परिस्थितियों में से किसी में पुनर्समायोजन के लिए कार्यवाही बन्द हो जाएगी ।

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

विकल्पकर्ता का नाम----------

वर्तमान पदनाम----------

कार्यालय का पता----------

संख्या..... तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित पदाधिकारी को इस संगठन में पुनराभिनियोजन पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय (अधिशिष्ट कर्मचारी) प्रकोष्ठ/रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के विशेष प्रकोष्ठ से अधिशिष्ट कर्मचारियों के पुनराभिनियोजन के लिए स्कीम के निबंधनों के अनुसार नियुक्त किया गया था।

2. पदाधिकारी द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के प्रतिनिर्देश से सत्यापित कर ली गई हैं और ठीक पाई गई हैं।

3. ऊपर स्तंभ 9 (ग) के अधीन पुनर्समायोजन के मामले में :—

प्रश्नाधीन कर्मचारी का ऊपर उप स्तंभ (iii) में और अनुकल्पतः स्तंभ 9(ग) के उप स्तंभ (i) में उपदर्शित रीति से राज्य को अन्तर्विभागीय स्थानांतरण नहीं किया गया जा सकता है।

4. यह विकल्प इस विभाग/कार्यालय में तारीख.....माह.....वर्ष.... को प्राप्त हुआ था। पुनर्समायोजन के लिए उसकी पात्रता का केन्द्रीय सिविल सेवा (अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द पुनराभिनियोजन) नियम, 1990 के नियम 6 के निबन्धनों के अनुसार सत्यापन कर लिया है और तदनुसार पुनराभिनियोजन के लिए उसका विकल्प आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाता है।

स्थान :
फोन सं. :
तार का पता :
(यदि कोई हो) :

हस्ताक्षर
कार्यालय अध्यक्ष
नाम और पदनाम
कार्यालय का पता
कार्यालय की मोहर